भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1115

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

सुरक्षित कार्य स्थल

1115. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच में सुधार लाने तथा प्रमुख प्रवासन केन्द्रों के निकट चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है, जहां उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक ज्यादा हैं;

(ख) यदि हां, तो समय-सीमा और कार्यान्वयन रणनीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निर्माण, ईंट भट्टों, खनन और विनिर्माण जैसे उच्च जोखिम वाले उद्योगों में शोषण को रोकने और सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इन नौकरियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिक कड़े व्यावसायिक सुरक्षा मानक लागू करने या श्रम निरीक्षणों की आवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, सुरक्षा मानकों/निरीक्षण में क्या वृद्धि की गई है तथा खतरनाक कार्य क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केन्द्रीय सरकार ने देश भर में जोखिमकारी उद्योगों सहित कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया है। कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत निर्मित नियमों का प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से किया जाता है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षा उपायों का उपबंध है। अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, अन्य बातों के साथ-साथ कांट्रेक्टर को प्रवासी कामगारों के लिए समुचित एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का अधिदेश देता है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर इन अधिनियमों और नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

जारी..2/-

खान कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के उपबंधों के अनुसार खानों का निरीक्षण करता है तथा किसी उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करता है।

सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की भी स्थापना की है जो मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) का एक देशव्यापी नेटवर्क है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 अधिनियमित किया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या व्यवसाय के प्रतिष्ठानों; भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य, कारखाने और खान को शामिल करते हुए उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं विनियमित करने वाले नियमों को समेकित और संशोधित किया जा सके।

******